भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2061

13.03.2023 को उत्तर के लिए

वनों का संरक्षण और विकास

2061. श्री जी. सेल्वम :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
श्रीमती मंजुलता मंडल :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
श्री सी.एन. अन्नादुरई :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :
श्री धनुष एम. कुमार :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में वनों के संरक्षण और विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा देश में उक्त योजनओं/परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और तमिनाडु के विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में वन संरक्षण और विस्तार के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरार क्या है;

(ड.) इन राज्यों में उक्त योजनाओं के सकारात्मक परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या आकांक्षी जिलों में वन संरक्षण के लिए किसी विशेष योजना का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वनों के संरक्षण और विकास पर लक्षित स्कीमों और परियोजनाओं को संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें इस मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई हैं।

(ग) से (च) देश में वनों के संरक्षण और विकास सहित पारिस्थितिकिय तंत्र को बहाल करने और वन आवरण को बढ़ाने के लिए अन्य वानिकी गतिविधियां सहित, वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों की सहायता और पूर्ति करने के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं नामतः हरित भारत मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत तैयार किए गए आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन और वनेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन क्षेत्र की रक्षा, पुनःबहाली एवं वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। जीआईएम गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू हुई थी। अब तक, 136808 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु सोलह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 728.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा नगर वन योजना (एनवीवाई) को वर्ष 2020 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि (काम्पा) के तहत उपलब्ध निधियों से 400 नगर वनों और 200 नगर वाटिकाओं को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। नगर वन योजना का उद्देश्य, जैविक विविधता सहित सहित शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाना, पारिस्थितिकीय लाभ प्रदान करना और नगरवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अब तक, नगर वन योजना के तहत मंत्रालय द्वारा कुल 238.64 करोड़ रुपये की कुल लागत से 270 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम) एवं सीएएफ नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कॉम्पा निधि) का उपयोग विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन एवं वृक्ष आवरण के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, वन भूमि के अपवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्षेत्र विशेष प्रावधानों जैसे जलग्रहण क्षेत्र प्रशोधन योजना, वन्यजीव संरक्षण योजना, मृदा एवं नमी संरक्षण योजना आदि तैयार करना भी निर्धारित किया गया है। पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान वनीकरण गतिविधियाँ करने और वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राज्य कॉम्पा निधि के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक संचालन कार्य योजना के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में अर्थात वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित राज्य कॉम्पा के तहत किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का वर्षवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। राज्य कॉम्पा प्राधिकरणों द्वारा तैयार और अनुशंसित की गई अनुमोदित वार्षिक कार्य संचालन योजना के अनुसार स्थानीय वन निवासी समुदायों के माध्यम से कॉम्पा निधि के क्षेत्र में वनीकरण और वन संरक्षण गतिविधियाँ की जा रही हैं।

सुरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा, और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावासों का विकास (सीएसएस-डीडब्ल्यूएच) के तहत मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति उप योजना (एसटीएसपी) घटक भी है जिसके तहत

राज्य सरकारों को निधि प्रदान की जा रही है। एसटीएसपी घटक के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों को जारी की गई निधियों सहित जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है। हाथी परियोजना स्कीम, हाथी, उनके पर्यावासों और गलियारों की रक्षा करने, मानव-हाथी संघर्ष और बंधक हाथियों के कल्याण के मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना - 'हाथी परियोजना' (सीएसएस-पीई) के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय प्रायोजित योजना - "हाथी परियोजना" के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-V** पर दिया गया है।

बाघ रिजर्व के संचालन की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, बाघों के संरक्षण, बाघों और अन्य वन्यजीव संरक्षण संबंधी जागरूकता बढ़ाने, पर्यावास प्रबंधन, संरक्षण, पारि-विकास, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, स्वैच्छिक आधार पर गांवों को नई जगह पर बसाने हेतु बाघ बहुल राज्यों के लिए वर्तमान में चल रही केंद्रीय प्रायोजित योजना - 'बाघ परियोजना' के तहत निधीयन सहायता प्रदान की जाती है, और राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विधिवत प्रस्तुत किया जाता है।

मंत्रालय द्वारा केंद्रीय-प्रायोजित वनाग्नि निवारण और प्रबंधन स्कीम के तहत, आग बुझाने के लिए आधुनिक उपकरणों, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, वन क्षेत्रों में अग्नि-रेखाओं के सृजन और अनुरक्षण, वनाग्नि वॉचरों के नियोजन, वन क्षेत्रों में जल भण्डारण संरचनाओं के निर्माण, वन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, अग्निशमन उपकरण की खरीद, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य, जागरूकता सृजन, वनाग्नि से सुरक्षा के लिए गांवों/समुदायों को प्रोत्साहन देना आदि जैसे वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान वर्तमान में चल रही केंद्रीय-प्रायोजित वनाग्नि निवारण और प्रबंधन स्कीम (एफएफपीएम) के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का समेकित विवरण **अनुबंध-VI** में दिया गया है। यह एफएफपीएम स्कीम देश में वनाग्नि संबंधी तैयारी, प्रतिक्रिया, नियंत्रण और उपशमन हेतु राज्य के वन विभागों को सुदृढ़ करती है। इस मंत्रालय ने वनाग्नि और रासायनिक आपदा संबंधी मुद्दों के लिए राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय हेतु आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि-वानिकी उप-मिशन आदि के तहत और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के तहत तथा विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट निकाय इत्यादि द्वारा वनीकरण गतिविधियां भी की जाती हैं। विकास की गति को बनाए रखने के अलावा, वनों की कटाई की समस्या को दूर करके वन और पर्यावरण के संरक्षण में बहु-विभागीय प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं, जो इस तथ्य का प्रमाण हैं कि वनावरण स्थिर हो गया है और विगत वर्षों से लगातार बढ़ रहा है।

*****

अनुबंध-I

"वनों का संरक्षण और विकास" के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	0.45	2.67	शून्य	शून्य	2.02	शून्य
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13.43	शून्य
3	छत्तीसगढ	10.95	5.36	5.04	1.66	6.12	शून्य
4	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.55	शून्य
5	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	17.09	शून्य	शून्य
6	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	25.73	शून्य	6.49
7	कर्नाटक	0.86	1.62	2.21	2.35	4.45	2.93
8	केरल	शून्य	शून्य	16.32	शून्य	शून्य	शून्य
9	मध्य प्रदेश	शून्य	24.16	30.65	शून्य	18.29	17.93
10	महाराष्ट्र	शून्य	10.30		शून्य	शून्य	शून्य
11	मणिपुर	6.42	4.89	4.16	6.74	9.93	5.45
12	मिजोरम	20.00	22.36	17.71	2.99	29.86	36.27
13	ओडिशा	1.41	4.74	14.19	26.01	17.74	8.48
14	पंजाब	6.22		3.19		3.32	2.7393
15	सिक्किम	शून्य	3.32	3.12	2.19	7.77	6.57
16	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	27.89	33.99	28.40
17	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	9.43	शून्य	शून्य	0.76
कुल		**46.30**	**79.43**	**106.01**	**112.65**	**156.46**	**116.01**

अनुबंध-II

"वनों का संरक्षण और विकास" के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य कॉम्पा निधि के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक संचालन योजना के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राशि का राज्य-वार विवरण

क्रं.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) (करोड़ रूपये में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.33	1.77	1.56	2.13	0.00
2	आंध्र प्रदेश	97.00	118.00	322.97	330.82	325.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	45.21	0.00	155.46	240.85
4	असम	70.00	48.84		88.34	79.12
5	बिहार	39.31	38.20	140.18	239.47	106.84
6	चंडीगढ़	1.13	1.61	1.87	2.26	3.60
7	छत्तीसगढ	0.00	897.52	848.51	1347.02	1500.75
8	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	19.55	16.15
10	गोवा	0.00	4.83	17.95	32.68	21.55
11	गुजरात	27.00	212.66	1484.60	169.85	169.00
12	हरियाणा	80.00	195.95	100.97	203.95	317.59
13	हिमाचल प्रदेश	120.00	127.72	145.82	158.38	138.10
14	जम्मू एवं कश्मीर	69.00	113.76	126.74	184.33	257.16
15	झारखंड	234.00	409.56	399.29	376.55	437.60
16	कर्नाटक	86.00	101.41	113.69	216.70	321.06
17	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	केरल	8.00	7.96	0.00	15.78	25.13
19	मध्य प्रदेश	200.00	272.36	453.50	500.00	616.88
20	महाराष्ट्र	199.00	230.00	499.38	599.32	688.27
21	मणिपुर	29.50	27.95	30.97	27.79	25.09
22	मेघालय	7.00	0.00	0.00	33.97	36.40
23	मिजोरम	6.85	9.01	19.23	32.66	18.08
24	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ओडिशा	509.00	0.00	556.34	773.39	901.03
26	पंजाब	179.00	102.56	102.15	177.85	218.06
27	राजस्थान	0.00	205.67	265.39	280.70	286.70
28	सिक्किम	12.68	0.00	44.96	47.72	70.00
29	तमिलनाडु	127.00	8.65	0.56	66.62	0.00
30	तेलंगाना	0.00	237.38	501.26	483.78	752.71
31	त्रिपुरा	7.10	16.70	20.84	21.51	35.24
32	उत्तर प्रदेश	144.00	152.00	285.68	442.01	586.90
33	उत्तराखंड	96.00	318.30	213.11	362.90	726.88
34	पश्चिम बंगाल	0.00	70.07	74.07	74.00	58.30
	कुल	**2349.9**	**3975.65**	**6771.59**	**7467.49**	**8980.04**

अनुबंध- III

"वनों का संरक्षण और विकास" के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में राज्य कॉम्पा के तहत किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कॉम्पा के तहत किया गया वनीकरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)				
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	4.33	16.54	5.85	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3093.00	4033.00	15829.00	5645.00	5777.00
3	अरुणाचल प्रदेश	3449.96	8716.00	13857.70	0.00	0.00
4	असम	1020.00	1394.11	2084.32	79.26	1813.34
5	बिहार	236.40	1211.00	1644.08	6356.51	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.74	0.09	0.09	0.00
7	छत्तीसगढ	5864.86	7210.78	6104.06	4827.93	6748.67
8	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	47.54	23.02
10	गोवा	0.00	10.00	40.00	200.00	200.00
11	गुजरात	847.00	746.00	1922.42	1547.41	6458.55
12	हरियाणा	0.00	1300	25.36	833.67	2246.00
13	हिमाचल प्रदेश	1382.75	581.69	568.32	876.00	954.36
14	जम्मू एवं कश्मीर	31.93	30.88	37.06	67.78	60.05
15	झारखंड	8073.00	3690.11	14088.25	10714.02	12406.86
16	कर्नाटक	3521.74	2465.29	1370.36	15780.62	9895.27
17	केरल	170.00	276.47	0.00	431.59	619.03
18	मध्य प्रदेश	3087.67	1119.15	25516.90	37716.06	35846.36
19	महाराष्ट्र	6149.15	832.51	10011.89	1043.03	1684.97
20	मणिपुर	6930.74	2738.86	337.00	6056.94	2155.00
21	मेघालय	0.00	0.00	0.00	803.00	534.00
22	मिजोरम	1150.00	351.72	0.00	2536.5	1303.78
23	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	ओडिशा	3550.00	101132.00	28646.00	48165.00	43956.00
25	पंजाब	2728.80	3562.44	5892.98	4769.99	5692.63
26	राजस्थान	7456.8	8533.56	8610.59	12932.85	10744.8
27	सिक्किम	234.09	0.00	171.64	106.04	183.98
28	तमिलनाडु	35.40	44.64	2.19	0.00	0.00
29	तेलंगाना	3908.38	5858.07	5350.68	9162.51	12651.16
30	त्रिपुरा	653.81	217.89	564.34	582.80	821.86
31	उत्तर प्रदेश	6506.95	7883.07	14948.53	12644.94	22676.03
32	उत्तराखंड	3474.00	2715.00	3222.00	2597.00	2852.00
33	पश्चिम बंगाल	0.00	268.65	97.71	122.42	282.81
	कुल	**73556.43**	**166927.96**	**160960.01**	**186652.35**	**188587.53**

अनुबंध-IV

"वनों का संरक्षण और विकास" के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान **अनुसूचित जनजाति उप योजना (एसटीएसपी) घटक** के अन्तर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजना-वन्यजीव पर्यावासों का विकास (सीएसएस-डीडब्ल्यूएच) के तहत जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

(लाख रूपये में)

क्रम सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2	छत्तीसगढ	0	41.30	0
3	गुजरात	0	0	0
4	हिमाचल प्रदेश	102.74	66.35	11.16
5	हरियाणा	0	0	12.38
6	झारखंड	9.17	60.39	0
7	मध्य प्रदेश	76.64	72.106	116.80
8	महाराष्ट्र	60.00	33.68	0
9	ओडिशा	0	74.99149	84.08
10	राजस्थान	119.58	101.19	287.24
11	तेलंगाना	0	0	0
12	असम	0	0	0
13	मेघालय	0	0	0
14	त्रिपुरा	0	0	0
15	मिजोरम	0	0	64.13
16	बिहार	28.60	55.06	0
17	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0
18	कर्नाटक	0	113.60	342.49
19	केरल	0	216.185	60.34
20	उत्तराखंड	666.94	75.22851	19.48
21	पश्चिम बंगाल	78.50	140.08	217.57
22	गोवा	14.67	0	0
23	तमिलनाडु	39.43	62.76	84.33
24	उत्तर प्रदेश	3.73	87.079	0
		1200 .00	**1200 .00**	**1300 .00**

अनुबंध-V

"वनों का संरक्षण और विकास" के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय प्रायोजित योजना "हाथी परियोजना" के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	17.39	29.02	127.03	77.28	20.56
2	अरुणाचल प्रदेश	118.85	0	103.27	282.25	157.76
3	असम	0	354.35	0	35.28	126.72
4	छत्तीसगढ	48	65.28	0	0	24.78
5	झारखंड	105.52	116.46	161.44	111.86	86.68
6	कर्नाटक	355.55	353.91	412.48	330.40	261.20
7	केरल	482.55	466.69	432.13	574.56	580.97
8	महाराष्ट्र	27	46.54	44.19	17.98	0
9	मेघालय	162.85	217.88	177.90	9.36	141.75
10	नागालैंड	25.2	141.22	213.95	92.50	279.76
11	ओडिशा	124.84	197.28	387.04	577.99	567.04
12	तमिलनाडु	291.92	383.11	275.16	0	181.85
13	त्रिपुरा	10.08	43.92	45.38	24.71	0
14	उत्तर प्रदेश	30.67	20.24	37.74	0	45.99
15	उत्तराखंड	341.56	192.17	417.31	204.85	244.12
16	पश्चिम बंगाल	79.93	83.94	113.25	64.20	87.87
17	हरियाणा	17.76	8.38	16.80	11.04	4.23
18	बिहार	154.40	165.32	57.03	39.08	0
19	राजस्थान	14.45	12.66	35.28	0	15.18
20	पंजाब	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	0	4.76	13.69	0	12.61
22	मणिपुर	10.80	9.07	10.94	0	5.40
	कुल	**2419.32**	**2912.20**	**3082.01**	**2453.34**	**2844.47**

अनुबंध-VI

"वनों का संरक्षण और विकास" के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान वर्तमान में चल रही केंद्रीय-प्रायोजित वनाग्नि निवारण और प्रबंधन स्कीम (एफएफपीएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	2017-18 में जारी धनराशि	2018-19 में जारी धनराशि	2019-20 में जारी धनराशि	2020-21 में जारी धनराशि	2021-22 में जारी धनराशि
अन्य राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	0.00	260.06	216.13	0.00	0.00
2	बिहार	75.00	57.17	208.16	233.94	0.00
3	छत्तीसगढ	168.00	104.60	392.07	0.00	140.55
4	गुजरात	75.00	92.16	183.92	185.60	99.80
5	गोवा	0.00	87.83	0.00	0.00	57.30
6	हरियाणा	75.00	0.00	49.26	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	276.70	0.00	199.99	203.29	116.17
8	झारखंड	105.00	107.84	222.02	153.46	136.15
9	कर्नाटक	105.00	174.70	136.75	219.40	157.33
10	केरल	234.53	279.57	256.80	0.00	362.88
11	मध्य प्रदेश	168.00	628.25	327.29	269.88	0.00
12	महाराष्ट्र	321.58	787.28	428.07	455.18	0.00
13	ओडिशा	168.00	435.00	463.84	400.55	839.83
14	पंजाब	75.00	0.00	13.56	0.00	0.00
15	राजस्थान	105.00	98.82	0.00	97.15	127.21
16	तमिलनाडु	105.00	0.00	154.82	0.00	238.90
17	तेलंगाना	105.00	0.00	0.00	166.96	0.00
18	उत्तर प्रदेश	75.00	100.61	97.63	146.96	111.79
19	उत्तराखंड	168.00	438.38	480.03	0.00	354.36
20	पश्चिम बंगाल	75.00	54.14	95.61	78.83	132.73
	कुल	**2479.81**	**3706.41**	**3925.95**	**2611.20**	**2875.00**
पूर्वोत्तर एवं सिक्किम						
1	असम	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	102.00	89.08	0.00	0.00	89.77
3	मणिपुर	219.88	230.54	55.34	316.61	86.53
4	मेघालय	104.63	113.53	73.94	73.31	0.00
5	मिजोरम	90.59	110.47	108.12	112.46	87.19
6	नागालैंड	92.56	83.12	79.95	87.80	64.52
7	सिक्किम	148.59	0.00	293.77	0.00	89.73
8	त्रिपुरा	66.00	109.73	103.43	45.62	82.26
	कुल	**824.25**	**829.70**	**714.55**	**635.80**	**500.00**
संघ राज्य क्षेत्र						
1	अंडमानएवं निकोबार द्वीप समूह	9.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2	चंडीगढ़	8.00	1.00	0.00	0.00	50.72
3	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	जम्मू एवं कश्मीर	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	नई दिल्ली	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	पांडिचेरी	30.00	49.84	0.00	0.00	0.00
	कुल	**152.00**	**77.25**	**0.00**	**0.00**	**50.72**
	कुल योग	**3456.06**	**4613.36**	**4640.50**	**3247.00**	**3425.72**

****